



कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।



अभिलेख-05000-204770, जीएम अभिलेख 05000-252044, 252219, डीएम-मीमाइल-9464417601, ई-मेल dmetw@nic.in
संख्या 537/जेओए-विधि/2024 दिनांक मई 31, 2024

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
इटावा।

महोदय,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा ने अपने पत्र संख्या-वाचक-एसएसपी-जिला स्तरीय एण्टी रैगिंग समिति (गठन)/2024 दिनांक 17.05.2024 के द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-डीजी-आठ-240(14)2024(ए0र0स0) दिनांक 12.05.2024 के साथ संलग्न विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-710(1)/छ-पु-3-2024 दिनांक 07.05.2024 व सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-F.1-15/2009(ARC)PL.III, दिनांक 18.04.2024 के क्रम में रैगिंग के संकट को रोकने व खत्म करने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशानुसार "जिला स्तरीय एण्टी रैगिंग समिति" का गठन किए जाने का अनुरोध किया गया है। समिति में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थानों के मुखिया तथा छात्र संघ के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाना है।

अतः उक्त समिति के गठन हेतु जनपद में संचालित समस्त मेडिकल कालेज/नर्सिंग कालेज/फार्मसी कालेज के प्रमुख/प्रधानाचार्य से सम्बन्धित सूचना प्रारूप-1 पर तथा छात्र संघ के प्रतिनिधि से सम्बन्धित सूचना प्रारूप-2 पर (हार्ड/सॉफ्ट कापी में) तत्काल/लौटती डाक से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रारूप-1

क्र0सं0	शैक्षणिक संस्थान का नाम व पता	प्राचार्य/प्रधानाचार्य का नाम	मो0नं0
1	2	3	4

प्रारूप-2

क्र0सं0	छात्र संघ का नाम	प्रतिनिधि/पदाधिकारी अध्यक्ष/सचिव का नाम	मो0नं0
1	2	3	4

डा0 श्रीनिवास यादव, DYCMO.

प्रभारी अधिकारी (सं0का0)/
कृते जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।

तत्काल

CMO

01/06/24